न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 2/2013
दायरा तिथि : 06.06.2013
आदेश तिथि : 04.04.2018

प्रार्थी :–
मोतीलाल पुत्र कुपा मेघवाल
निवासी बीजापुर तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण (प्रभावित खातेदारान्) :–
स्व. उम्मेदसिंह पुत्र पदमसिंह के कायम मुकाम :–
1. दलपतसिंह पि. उम्मेदसिंह
2. विजयसिंह पि. उम्मेदसिंह
3. अर्जुनसिंह पि. उम्मेदसिंह
4. महेन्द्रसिंह पि. उम्मेदसिंह
5. उच्छब कंवर पुत्री उम्मेदसिंह
6. दीवान कंवर पुत्री उम्मेदसिंह
7. राधाकंवर पत्नि उम्मेदसिंह
जातिगण राजपूत, निवासीगण, बीजापुर
तहसील बाली, जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश दिनांक : 04.04.2018

प्रार्थी खातेदार ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–68 के निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत कर धारित खातेदारी कृषि भूमि मौजा बीजापुर के खसरा संख्या 973 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म नहरी सोयम मे आवागमन के लिए अन्य खातेदारान उम्मेदसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर खातेदारी भूमि मौजा बीजापुर के खसरा नंबर 972 रकबर 1.97 हैक्टर किस्म नहरी सोयम की भूमि मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में नियमो के नियम–69 के तहत तहसीलदार, बाली एवं भू. अभिलेख निरीक्षक, बीजापुर से मौका निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त करने के साथ ही प्रभावित खातेदार को आक्षेप/एतराज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामिली रिपोर्ट मे अप्रार्थी उम्मेदसिंह की मृत्यु होना बताया गया। उक्त सन्दर्भ मे उम्मेदसिंह के कायम मुकाम को नोटिस जारी किये गये। भू.अ.निरीक्षक बीजापुर द्वारा दिनांक 02.01.2017 को प्रस्तुत रिपोर्ट मे अप्रार्थीगणो के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा होने पर ख.न. 972 रकबा 0.74 हैक्टर की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 दलपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के हिस्से बंट मे रही। अप्रार्थी दलपतसिंह द्वारा न्याय आपके द्वार दिनांक 05.06.2018 केम्प बीजापुर मे उपस्थित होकर प्रार्थी को उक्त भूमि मे से रास्ता नही दिये जाने का निवेदन कर आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप की जांच हेतु तहसीलदार बाली को जरिये पत्रांक : 1540 दिनांक 11.10.2017 को लिखा गया। तहसीलदार बाली ने उनके पत्रांक : 1738 दिनांक 16.11.2017 द्वारा रिपोर्ट पेश कर ख.न. 973 मे आने जाने हेतु अन्य कोई विकल्प मौजूद नही होना जाहिर किया तथा ख.न. 972 मे से आवेदित रास्ता दिया जाना उचित बताया। अप्रार्थी के ख.न. 972 के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज की जाती है।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार––2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 2/2013 अनवान मोतीलाल बनाम उम्मेदसिंह के कायम मुकाम दलपतसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इस संबंध मे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक : राजस्व/2017/688 दिनांक 30.03.2017 के अनुसार प्रार्थी आवेदक के द्वारा खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 973 मे आवागमन के लिए अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ते के लिये प्रस्तावित भू–भाग का खसरे वार विवरण ख.न. 972 रकबा 0.74 हैक्टर किस्म नहरी सोयम मे से 60 X 5 =300 वर्गमीटर है। ग्राम बीजापुर की वर्तमान डी.एल.सी. दर 46000/– प्रति बीघा है। उक्त रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि मे कोई वृक्ष या निर्माण आदि नही है एवं प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है। तहसीलदार, बाली/भू–अभिलेख निरीक्षक बीजापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिशंषा के अनुसार आवेदक खातेदार द्वारा धारित भूमि मे आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नही होना जाहिर है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आवेदक को धारा 251(क)(1)(ख) एवं (ii) एवं नियमो के नियम–69(ii) के अन्तर्गत बीजापुर के ख.नं. 973 की भूमि मे आवागमन हेतु खसरा नं. 972 रकबा 0.74 हैक्टर मे से 60 X 5= 300 व.मी. नया मार्ग तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं :–

ख. नं.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व.मी.)	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 46000/– प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि	प्रभावित खातेदार का नाम
972	0.74	60 X 5= 300व.मी.	28.75	17250/–	दलपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह कौम राजपूत निवासी बीजापुर

अतः राशि रूपये 17250/– अक्षरे सत्रह हजार दो सौ पच्चास रूपये अप्रार्थीगण संख्या 1 श्री दलपतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर को देय होंगे। अधिनियम की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर ''रास्ता'' राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में 300 वर्गमीटर नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रतिकर की राशि प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदार को उपलब्ध कराई जावेगी।

तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना प्रतिवेदन नक्शा एवं खतौनी की प्रति सहित प्रस्तुत की जावेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बीजापुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
उप-खण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक **04.04.2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप-खण्ड अधिकारी, बाली
बाली

Scanned by CamScanner